



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर चोरी करने के आरोपी युनुस को हुआ 13 माह का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष-2019 में अभियुक्त युनुस पुत्र फैय्याज निवासी पट्टी भोजान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 220/2019 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सिविल जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त युनुस को दोषी पाते हुए 13 माह का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-16.09.2024

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

रामनिवास पुत्र मामराज निवासी ग्राम पलडा
थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विकास चौहान थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-का0 894 अमित कुमार थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा विभिन्न वादों से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राहुल पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-उ0नि0यू0टी0 श्री दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 16.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 616/24 धारा 305/317(2)/331(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2024 को थाना बडौत पर वादी इकबाल पुत्र बारू निवासी हैमर कॉलोनी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त अंकित निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी का मोबाइल सैमसंग को चोरी कर लिया है, इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 616/24 धारा 305/317(2)/331(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 616/24 धारा 305/317(2)/331(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र इंदरपाल निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विकास कुमार तैनाती थाना बडौत ।
- 2- उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना बडौत ।
- 3- का0 550 अनिल कुमार थाना बडौत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 16.09.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 286/24 धारा 191(2)/333/352/109 बीएनएस-2023 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10.09.2024 को थाना खेकडा पर वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आकाश उर्फ कग्गा पुत्र प्रमोद उर्फ पप्पू, 2.नितिन उर्फ खौन्चा पुत्र स्व0 नरेशपाल, 3.रौबिन उर्फ काला पुत्र स्व0 नरेशपाल, 4.सूरज उर्फ मिर्ची पुत्र विजयपाल व 5.शिवम उर्फ बिहू पुत्र सुरेन्द्र निवासीगण ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर वादिया के घर में



घुसकर गाली-गलौच करना व अभियुक्त आकाश द्वारा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर

करना जिससे वादिया का पुत्र अनुज गम्भीर रूप से घायल गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 286/24 धारा 191(2)/333/352/109 बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 286/24 धारा 191(2)/333/352/109 बीएनएस-2023 में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता

- 1-आकाश उर्फ कग्गा पुत्र प्रमोद उर्फ पप्पू निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-नितिन उर्फ खौन्चा पुत्र स्व0 नरेशपाल निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना खेकडा बागपत ।
2. उ0नि0 नरेशपाल सिंह थाना खेकडा बागपत ।
3. का0 607 कपिल थाना खेकडा बागपत ।
4. का0 1022 अजय थाना खेकडा बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 16.09.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 284/24 धारा 127(2)/204/
309(4)/351(2)/317(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके
कब्जे से लूटे हुए शेष बचे 11 घरेलू गैस सिलेण्डर, 70 अन्य सिलेण्डर व घटना में
प्रयुक्त एक बुलेरो पिकअप बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.09.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी रमनपाल s/o वीरेन्द्र सिंह निवासी भगत बिहार करावल नगर दिल्ली ने सूचना दी कि दिनांक 08.09.24 को वह अपनी गाडी नम्बर DL1LAL9597 टाटा ऐन्ट्रा में खेकड़ा गैस एजेन्सी से 96 घरेलू गैस सिलेण्डर (इण्डेन गैस) लोडकर ग्राम-डूण्डाहैडा के आस-पास गाँव में डिलीवरी करने जा रहा था तो ग्राम डूण्डाहैडा के पास एक सफेद रंग की पंजाब नम्बर की सेलेरियो कार सवार लोगो ने उसकी गाडी को ओवरटेक कर रूकवा लिया, जिसमें 2



लोगो ने उतर कर जबरदस्ती उसकी गाडी से उसे उतार लिया और कहाँ कि हम डी-एस-ओ से है और बल पूर्वक उसकी गाडी छीन कर ले गये। इस घटना में 4 लोग सामिल थे । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 284/24 धारा 127(2)/204/
309(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी है । 04 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये है- 1.सतीश पुत्र विजय निवासी समसपुर थाना जाफरपुर कलां दिल्ली हाल पता सी-174 सैक्टर सी-2 ट्रौनिका सिटी गाजियाबाद (गिरफ्तार),

2.अनमोल उर्फ मोनू पुत्र सुनील (गिरफ्तार), 3.सिद्धु पुत्र देवेन्द्र निवासीगण ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत व 4.शुभम पुत्र बिजेन्द्र निवासी अज्ञात । लूटी हुई खाली गाडी दिनांक 08-09-2024 की शाम को थाना खेकडा क्षेत्र के ग्राम शुभानपुर के पास खडी हुई बरामद हुई थी ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खेकडा महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 284/24 धारा 127(2)/204/ 309(4)/351(2)/317(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटे हुए शेष 11 घरेलू खाली गैस सिलेण्डर व कालाबाजारी के लिए लाए गये 70 अन्य घरेलू खाली गैस सिलेण्डर तथा घटना में प्रयुक्त एक गाडी बुलेरो पिकअप नं0 UP13BT3778 बरामद हुई है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 11-09-2024 को अभियुक्त सतीश पुत्र विजय को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा लूटे हुए 85 घरेलू गैस सिलेण्डर बरामद किये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनमोल उर्फ मोनू पुत्र सुनील निवासी ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- लूट घटना से सम्बन्धित शेष 11 घरेलू गैस सिलेण्डर
- कालाबाजारी के लिए लाये गये 70 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर
- घटना में प्रयुक्त एक गाडी बुलेरो पिकअप नं0 UP13BT3778

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना खेकडा ।
2. है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकडा ।
3. का0 701 शोकेन्द्र थाना खेकडा ।
- 9.का0 590 रवि कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 16.09.24

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने गुमशुदा 01 नाबालिग लडकी को अथक प्रयास के पश्चात उसके परिजनों को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग लडकी को अथक प्रयास के पश्चात उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है ।

परिजनों द्वारा बडौत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौतजनपद बागपत ।
- 2-म0का0 258 रैनू चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 825 राजकुमार थाना बडौतजनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली दिनांक 16/09/2024

थाना बिनौली पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-महेश पुत्र सुखवीर निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-सुभाष पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-म0उ0नि0 सीमा सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4-का0 1104 चक्रपाल थाना बिनौली जनपद बागपत